जीने लायक शहरों के लिए संतुलित विकास जरूरी

बुनियादी सुविधाएं हों तो भारतीय पेशेवरों को विदेश जाने की जरूरत नहीं

शहरों के साथ आसपास के इलाकों को भी विकसित करने की आवश्यकता

नयी दिल्ली, 31 अक्टूबर. नीति आयोग में कार्यक्रम निदेशक अन्ना रॉय ने कहा कि भारत के शहरों को रहने योग्य बनाने के लिए सिर्फ शहरों पर नहीं बल्कि उनके आसपास के इलाकों के विकास पर भी समान ध्यान देना चाहिए.

उन्होंने भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा आयोजित रियल एस्टेट सम्मेलन में कहा कि अगर आसपास की बुनियादी सुविधाएं विकसित हों तो भारतीय पेशेवरों को विदेश जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी. नीति आयोग में कार्यक्रम निदेशक अन्ना रॉय ने शुक्रवार को कहा कि भारतीय शहरों को जीने लायक बनाने के लिए शहरों के साथ आसपास के इलाकों को भी विकसित करने की जरूरत है.

रॉय ने यहां भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) द्वारा रियल एस्टेट पर आयोजित एक बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि कोई भारतीय सिंगापुर में जाकर काम क्यों करना चाहेगा जबकि बेंगलुरु जैसे उभरते शहरों में भी उसे करियर के लिहाज से अच्छा अवसर मिल सकता है. उन्होंने कहा कि किसी शहर में रहने के लिए कैसी सुविधाएं हैं और आसपास कैसा माहौल है यह भी मायने रखता है. उन्होंने कहा कि शहरों को विकसित करते समय यह जरूर ध्यान दिया जाना चाहिये कि वे जीने लायक हों.

शहरों को पर्यावरण के अनुकूल बनाने और जीने लायक बनाने की जरूरत पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि दुनिया के शीर्ष 100 शहरों में एक भी भारतीय शहर न होने का यही कारण है. सिर्फ शहरों की प्रशासनिक सीमा तक ही नहीं आसपास के इलाकों को भी उसी तरह से तैयार किये जाने की जरूरत है. इस मौके पर देश में वाणिज्यिक रियल एस्टेट की स्थित पर एक रिपोर्ट भी जारी की गयी.

> रिपोर्ट के अनुसार, रियल एस्टेट में सबसे नया उभरने वाला वर्ग डाटा सेंटर तेजी से बढ़ रहा है. तेजी से बढ़ते 5जी नेटवर्क, एआई, क्लाउड कंप्यूटिंग और डाटा को देश में ही स्टोर करने के आदेश के कारण भारतीय डाटा सेंटर बाजार 10 गीगावाट को पार कर चुका है जिसमें 1.4 गीगावाट सक्रिय हो चुका है. सीआईआई और नाइट फ्रैंकफर्ट इंडिया द्वारा तैयार इस रिपोर्ट में कहा गया है कि साल 2000 से 2025 तक देश में ऑफिस स्पेस में 8.6 प्रतिशत सालाना की औसत दर से वृद्धि हुई है. सबसे तेज विकास बेंगलुरु, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और मुंबई मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र में देखा गया है.

मछुआरों के जीवन में तकनीकी दस्तक

तीन नवंबर से शुरू होगा राष्ट्रीय सर्वेक्षण अभियान

व्यास-भारत और व्यास-सूत्र ऐप लॉन्च

कोच्चि, 31 अक्टूबर. देश के समुद्री मत्स्योद्योग क्षेत्र की दशा और दिशा तय करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार तीन नवंबर से पाँचवीं राष्ट्रीय समुद्री मत्स्योद्योग जनगणना शुरू करने जा रही है.

यह जनगणना 18 दिसंबर तक चलेगी, जिसमें देश के तटीय इलाकों के 5,000 से अधिक गांवों और बस्तियों में रहने वाले 12 लाख से ज्यादा मछुआरा परिवारों की विस्तृत जानकारी जुटाई जाएगी. केंद्रीय मत्स्यपालन, पशुपालन एवं डेयरी राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन ने शुक्रवार को कोच्चि में इसके लिए विकसित दो डिजिटल मोबाइल ऐप—व्यास–भारत और व्यास–सूत्र—का शुभारंभ किया. इस पहल से पारंपरिक कागजी सर्वेक्षण की जगह डिजिटल तकनीक अपनाकर मत्स्योद्योग क्षेत्र की सटीक और अद्यतन जानकारी एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराई जाएगी.

जनगणना की प्रक्रिया हुई डिजिटल

केंद्र सरकार ने शुक्रवार को घोषणा की कि देशभर में समुद्र में मछली पकड़ने और उससे जुड़े कार्यों में लगे लोगों की पाँचवीं राष्ट्रीय समुद्री मत्स्योद्योग जनगणना (2025) तीन नवंबर से आरंभ होगी. यह अभियान 18 दिसंबर तक चलेगा और इसके अंतर्गत 5,000 से अधिक तटीय गांवों व बस्तियों में 12 लाख से ज्यादा मछुआरा परिवारों का विस्तृत सर्वेक्षण किया जाएगा. इस बार जनगणना की प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल बनाया गया है. केंद्रीय मत्स्यपालन, पशुपालन एवं डेयरी राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन ने कोच्चि में दो विशेष मोबाइल ऐप—व्यास–भारत और व्यास–सूत्र—का शुभारंभ करते हुए कहा कि यह कदम राष्ट्रीय जनगणना प्रणाली में डिजिटल प्रौद्योगिकी के समावेश का ऐतिहासिक सूत्रपात है.

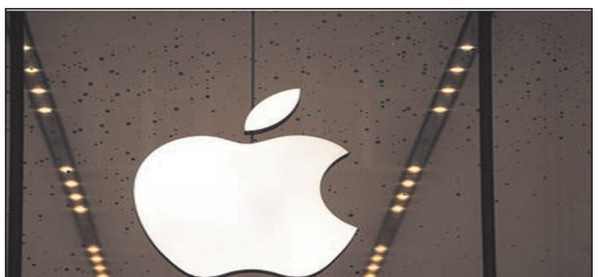

एप्पल का तिमाही मुनाफा रिकॉर्ड 86 प्रतिशत बढ़ा

- कंपनी का कुल मुनाफा 2,746.6 करोड़ डॉलर पहुंचा
- आईफोन 16 सीरीज का राजस्व में सबसे बड़ा योगदान

नयी दिल्ली, 31 अक्टूबर. अमेरिकी टेक कंपनी एप्पल ने जुलाई सितंबर तिमाही में 86 प्रतिशत की जबरदस्त बढ़ोतरी दर्ज की. कंपनी का कुल मुनाफा 2,746.6 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया.

सीईओ टिम कुक ने बताया कि भारत में अब तक की सबसे अधिक तिमाही बिक्री हुई है, जबकि आईफोन 16 सीरीज ने राजस्व में सबसे बड़ा योगदान दिया. अमेरिकी टेक कंपनी एप्पल ने जुलाई–सितंबर में शुद्ध लाभ में 86 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की और भारत में तिमाही राजस्व का रिकॉर्ड बनाया.

एप्पल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी टिम कुक ने गुरुवार को चौथी तिमाही के परिणामों की घोषणा करते हुए कहा, बहुत से बाजारों में हमारा राजस्व बढ़ा है और 10 से अधिक बाजारों में हमने चौथी तिमाही का नया रिकॉर्ड बनाया है, जिसमें अमेरिका, कनाडा,लातिन अमेरिका,पश्चिमी यूरोप, पश्चिम एशिया, जापान, कोरिया और दक्षिण एशिया शामिल हैं. हमने उभरते हुए बाजारों भी चौथी तिमाही का रिकॉर्ड बनाया है. भारत में अब तक की किसी भी तिमाही का रिकॉर्ड राजस्व अर्जित किया है.

वीआईटी चेन्नई का 10वां सालाना टेक्नो वीआईटी शुरू

10,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स तीन-दिवसीय टेक्नो वीआईटी 25 इवेंट में हिस्सा ले रहे

नई दिल्ली 31 अक्टूबर. टेक्नो वीआईटी का 10वां सालाना एडिशन, एक ग्लोबल इवेंट जिसमें स्टूडेंट्स कई टेक्निकल इवेंट्स और कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेते हैं, शुक्रवार को चेन्नई में शुरू हुआ.

पूरे भारत और थाईलैंड, पोलैंड, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस, म्यांमार, ताइवान और उज़्बेकिस्तान जैसे 10 विदेशी देशों के 10,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स तीन-दिवसीय टेक्नो वीआईटी 25 इवेंट में हिस्सा ले रहे हैं. चेन्नई में रॉयल थाई कॉन्सुलेट-जनरल के कॉन्सल-जनरल, रचा अरिबर्ग, चीफ गेस्ट थे और उन्होंने उद्घाटन भाषण दिया. एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट,

प्रिंस जयकुमार डी, गेस्ट ऑफ ऑनर थे और वीआईटी के वाइस प्रेसिडेंट, डॉ. जी.वी. सेल्वम ने अध्यक्षता की. अपने शुरुआती भाषण में, मिस्टर अरिबर्ग ने कहा कि इंजीनियरिंग और साइंस के क्षेत्र में काम करने वाले युवाओं को टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बुजुर्गों और समाज की मदद करने और ऑर्गनाइज्ड क्राइम से लड़ने में भी योगदान देने के लिए करना चाहिए.

> अरिबर्ग ने कहा, पूरी दुनिया में डिजिटल डिवाइड की एक गंभीर समस्या है - युवाओं और बुजुर्गों के बीच ज्ञान का अंतर. बुजुर्गों के साथ कुछ समय बिताएं, नहीं तो वे पीछे रह जाएंगे और अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे. उन्होंने युवाओं से अपील की कि वे अपने परिवारों और समाज के अन्य बुजुर्गों के साथ ज्यादा बार बातचीत करें ताकि उनकी ज़िंदगी बेहतर हो सके. अपने प्रेसिडेंशियल भाषण में, डॉ. जी.वी. सेल्वम ने कहा कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और भारत के बीच संबंधों में हाल के डेवलपमेंट्स के कारण उच्च शिक्षा के लिए वहां जाने वाले भारतीय छात्रों की संख्या में 44 प्रतिशत की कमी आई है.

लेंसकार्ट ने जुटाए 3,268 करोड़ रुपये

घरेलू और वैश्विक संस्थागत निवेशक भी शामिल

नयी दिल्ली, 31 अक्टूबर.आईवियर रिटेल आउटलेट की सीरीज चलाने वाली कंपनी लेंसकार्ट ने शुक्रवार को प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गम खुलने से पहले बड़े निवेशकों को इक्विटी जारी कर 3,268.36 करोड़ रुपये जुटाये हैं.

लेंसकार्ट सॉल्यूशंस लिमिटेड ने गुरुवार को शेयर बाजार को बताया कि 147 बड़े निवेशकों को 8,13,02,412 इक्विटी शेयर के बदले उसने यह राशि जुटायी है. दो रुपये अंकित मूल्य वाले ये शेयर 402 रुपये प्रति शेयर के भाव पर जारी किये गये. इन बड़े निवेशकों में घरेलू और वैश्विक संस्थागत निवेशक भी शामिल हैं. कंपनी का आईपीओ आज खुला है और मंगलवार चार नवंबर तक जारी रहेगा. आईपीओ के तहत 9,97,61,257 शेयर बिक्री के लिए रखे गये हैं. कंपनी ने प्रति शेयर 382 रुपये से 402 रुपये का मूल्य दायरा तय किया है. कर्मचारियों के लिए आरक्षित हिस्से के तहत प्रति शेयर 19 रुपये की छूट मिलेगी. बड़े निवेशकों को जारी कुल 8.13 करोड़ इक्विटी शेयरों में से 2.87 करोड़ कुल 59 स्कीम्स के ज़रिये 21 घरेलू म्यूचुअल फंड्स को जारी किये गये हैं.

स्थानीय निकायों को भी रेरा के दायरे में लाया जाये: आनंद

नयी दिल्ली, 31 अक्टूबर. रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (रेरा) के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के अध्यक्ष आनंद कुमार ने रेरा को ज्यादा शक्तियां देने की वकालत करते हुए शुक्रवार को कहा कि उसके पास स्थानीय निकायों को भी निर्देश देने का अधिकार होना चाहिये. भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) द्वारा भारतीय रियल एस्टेट के विकास पर आयोजित एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि रेरा बनने के बाद रियल एस्टेट सेक्टर पर काफी सकारात्मक प्रभाव पड़ा है, लेकिन इसमें अब भी कुछ कमियां हैं, जिन्हें दूर किया जाना चाहिये. उन्होंने कहा, रेरा के पास सिर्फ आवास खरीदने वाले को, रियल एस्टेट एजेंट को और डेवलपर को निर्देश देने का अधिकार है. यदि दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) निर्माण पूरा होने का प्रमाणपत्र (कम्प्लीशन सर्टिफिकेट) देने में देरी करता है, तो उसे निर्देश देने का अधिकार रेरा के पास क्यों नहीं होना चाहिये. उन्होंने कहा कि एमसीडी जैसे स्थानीय निकाय रियल एस्टेट क्षेत्र से संबंधित मामलों में पूरे रियल एस्टेट सेक्टर का हिस्सा हैं और उन्हें उचित निर्देश देने का अधिकार रेरा के पास होना चाहिये. कुमार ने एक अन्य सुधार की सलाह देते हुए कहा कि बिक्री समझौतों को लेकर भी दिक्कतें आ रही हैं. उन्होंने सलाह दी कि सभी बिक्री समझौते रेरा को सौंप दिये जाने चाहिये. रेरा उन्हें अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर देगा, जिससे कोई भी उसे देख सकता है. रियल एस्टेट सेक्टर के सभी पक्षों से ईमानदारी बरतने की अपील करते हुए उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में आ रही समस्याओं की मुख्य वजह लालच है.

JANA SMALL FINANCE BANK
(A Scheduled Commercial Bank)

पंजीकृत कार्यालयः- द फेयरवे, भूतल एवं प्रथम तल, सर्वे क्रमांक 10/1, 11/2 एवं 12/2बी, डोम्लुर के पास, कोरमंगला इनर रिंग रोड, ईजीएल बिजनेस पार्क के पास, चल्लघट्टा, बेंगलुरु-560071। शाखा कार्यालयः- प्लॉट क्रमांक 306-ए, पीयू 4, स्कीम क्रमांक 54, कंट्री इन होटल के पास, मेन ए.बी. रोड, विजय नगर, इंदौर-452010।

सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के तहत मांग नोटिस।

जबकि, आप, नीचे उल्लिखित उधारकर्ता, सह-उधारकर्ता, गारंटर और बंधककताओं ने अपनी अचल संपत्तियों को गिरवी रखकर जन लघु वित्त बैंक लिमिटेड से ऋण लिया है। आप सभी द्वारा की गई चूक के परिणामस्वरूप, आपके ऋण खाते को गैर-निष्पादित परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जबकि जन लघु वित्त बैंक लिमिटेड अधिनियम के तहत एक सुरक्षित ऋणदाता होने के नाते, और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 2 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कॉलम संख्या 2 में उल्लिखित उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता/गारंटर/बंधककताओं को नोटिस की तारीख से **60 दिनों** के भीतर नोटिस में उल्लिखित राशि को उस पर भविष्य के ब्याज सहित चुकाने के लिए मांग नोटिस जारी किया है, लेकिन विभिन्न कारणों से उनमें से कुछ को नोटिस नहीं दिया जा सका।

सं. क्र.	उधारकर्ता का नाम/ सह–उधारकर्ता/ गारंटर/ बंधककर्ता	ऋण खाता संख्या और ऋण राशि	लागू की जाने वाली सुरक्षा का विवरण	एनपीए की तिथि और मांग नोटिस की तिथि	देय राशि रुपये में/ दिनांक तक
1	1) श्री बद्रीलाल, पुत्र कानाजी, 2) श्रीमती श्यामू बाई, पत्नि बद्रीलाल	ऋण खाता सं. 32769630000489 32769410000492 ऋण राशिः: ₹ 6,94,000/-	अचल संपत्तिः प्लॉट/मकान संख्या 89 वाला वह पूरा भूखंड, जिसका कुल क्षेत्रफल 1500 वर्ग फुट (139.3546 वर्ग मीटर) है, और उस पर निर्माण सहित, खसरा संख्या 290 और पीएच संख्या 32 का एक भाग, ग्राम चिकली में स्थित है, ग्राम पंचायत चिकली, जनपद पंचायत तराना, तहसील माकडोन और जिला उज्जैन (मध्य प्रदेश) की सीमा के भीतर। पूर्व में सरकारी नाले से, पश्चिम में आम रास्ते से, उत्तर में कनाजी के घर से और दक्षिण में लक्ष्मीनारायण के घर से घिरा हुआ।	01-10-2025 और 18-09-2025	रू. 6,34,675.48 (छह लाख चौंतीस हजार छह सौ पिचहत्तर और अड़तालीस पैसे मात्र) 15.10.2025 तक
2	1) श्री देवी सिंह, पुत्र चेन सिंह 2) श्री राजेश, पुत्र चेन सिंह 3) श्रीमती सोना बाई पत्नी देवी सिंह	ऋण खाता सं. 36419440000514 36419410000379 ऋण राशिः ₹8,00,000/-	अचल संपत्तिः मकान/भूखंड संख्या 545 वाली भूमि का वह पूरा टुकड़ा, जिसका क्षेत्रफल 1120 वर्ग फुट (104.08 वर्ग मीटर) है, और उस पर निर्माण कार्य भी शामिल है। सर्वेक्षण संख्या 334, गृह संख्या 27 का एक भाग, ग्राम भांडला में, ग्राम पंचायत रूपेटा, जनपद पंचायत खाचरोद, तहसील नागदा और जिला उज्जैन (मध्य प्रदेश) की सीमा के भीतर स्थित है। पूर्व मेंः मोहन, पुत्र पूना का मकान, पश्चिम मेंः सरकारी भवन, उत्तर मेंः मोहन, पुत्र पूना की भूमि और दक्षिण मेंः सड़क।	01-10-2025 और 23-10-2025	रू. 6,39,095.51 (छह लाख उनचालीस हजार पिनच्यानवे और इक्यावन पैसे मात्र) 15.10.2025 तक
3	1) श्री देवी सिंह, पुत्र मांगीलाल 2) श्रीमती पार्वती बाई पत्नी देवी सिंह, 3) श्री ईश्वर वर्मा, पुत्र देवी सिंह	ऋण खाता सं. 30609420000068 30609410000832 ऋण राशिः ₹14,30,000/-	अचल संपत्तिः भूखंड/मकान संख्या 36 वाला वह समस्त भूखंड, जिसका कुल क्षेत्रफल 600 वर्ग फुट (55.76 वर्ग मीटर) है, तथा उस पर निर्माण कार्य भी शामिल है। पंचायत संख्या 33 (सरल संख्या 1001), सर्वेक्षण संख्या 4/1 का भाग, ग्राम नागूखेड़ी, वृंदावन बिहारीलाल कॉलोनी में स्थित, ग्राम पंचायत नागूखेड़ी, तहसील एवं जिला देवास (मध्य प्रदेश) की सीमा के भीतर। पूर्व में भूखंड संख्या 35, पश्चिम में भूखंड संख्या 37, उत्तर में भूखंड संख्या 34-बी और दक्षिण में सड़क से घिरा हुआ।	01-10-2025 और 23-10-2025	रू. 14,03,084.70 (चौदह लाख तीन हजार चौरासी और सत्तर पैसे मात्र) 15.10.2025 तक
4	1) श्री गोवर्धन सिंह, पुत्र प्रेम सिंह, 2) श्रीमती सिद्ध बाई, पत्नी. प्रेम सिंह, 3) श्री प्रेम सिंह, पत्नी मोती सिंह, 4) श्रीमती कृपाल सिंह, पत्नी. प्रेम सिंह	ऋण खाता सं. 45579440001075 ऋण राशिः ₹5,00,000/-	अचल संपत्तिः मकान/भूखंड संख्या 38 वाला वह समस्त भूखंड, जिसका क्षेत्रफल 2800 वर्ग फुट है, तथा उस पर निर्माण कार्य भी शामिल है। यह सर्वेक्षण संख्या 135, पीएच संख्या 09 का भाग है। यह ग्राम पिपलिया बाजार में, ग्राम पंचायत पारसोली, जनपद पंचायत तराना, तहसील माकड़ोन एवं जिला उज्जैन (मध्य प्रदेश) की सीमा के भीतर स्थित है। पूर्व में प्रभुलाल का मकान, पश्चिम में सड़क, उत्तर में सड़क और दक्षिण में श्री प्रधान जी का मकान इसकी सीमा में है।	01-10-2025 और 18-10-2025	रू. 2,71,309.43 (दो लाख इकहत्तर हजार तीन सौ नौ और तिरतालीस पैसे मात्र) 15.10.2025 तक
5	1) श्री हर्ष देवड़ा, पुत्र मुकेश देवड़ा, 2) श्री यश देवाड़ा, पुत्र मुकेश देवड़ा, 3) श्रीमती महक कछावा, पत्नि हर्ष देवड़ा	ऋण खाता सं. 33049430001162 ऋण राशिः ₹15,00,000/-	अचल संपत्तिः वार्ड क्रमांक 15 (पुराना वार्ड क्रमांक 14) में स्थित प्लॉट/मकान का वह पूरा टुकड़ा, जिसका कुल क्षेत्रफल 1320 वर्ग फुट (122.63 वर्ग मीटर) है, और उस पर निर्माण कार्य भी शामिल है। यह नगर पालिका पीथमपुर, तहसील पीथमपुर और जिला धार (मध्य प्रदेश) की सीमा के भीतर, संजय जलाशय रोड, फकीर मोहल्ला में स्थित है। सीमाएँः पूर्व मेंः देवकरण, पुत्र अमर सिंह देवड़ा का मकान, पश्चिम मेंः कमल, पुत्र रूप सिंह पंवार का मकान, उत्तर मेंः कॉमन रोड और दक्षिण मेंः बाबूलाल मीणा का मकान।	01-10-2025 और 18-10-2025	रू. 15,89,037.18 (पंद्रह लाख नवासी हजार सैंतीस और अठारह पैसे मात्र) 15.10.2025 तक
6	1) श्री जय सिंह सेंधव, पुत्र मदन सिंह सेंधव, 2) श्रीमती पवित्रा बाई, पत्नी जय सिंह सेंधव	ऋण खाता सं. 30609630000266 30609410000447 ऋण राशिः ₹9,17,000/-	अचल संपत्तिः मकान/भूखंड संख्या 103 वाली भूमि का वह पूरा टुकड़ा, कुल क्षेत्रफल 875 वर्ग फुट (81.31 वर्ग मीटर) और उस पर निर्माण सहित, खसरा संख्या 394, पुलिस चौकी संख्या 59 का एक भाग, ग्राम पिपल्याबक्स में, ग्राम पंचायत पिपल्याबक्स, तहसील सोनकच्छ और जिला उज्जैन (मध्य प्रदेश) की सीमा के भीतर स्थित है। सीमाः पूर्व में कमल सिंह का मकान, पश्चिम में रास्ता, उत्तर में शंकरलाल का मकान और दक्षिण में रास्ता।	01-10-2025 और 18-10-2025	रू. 7,79,491.90 (सात लाख उन्यासी हजार चार सौ इनक्यानवे और नब्बे पैसे मात्र) 15.10.2025 तक
7	1) श्री जीतेन्द्र, पुत्र रामचन्द्र, 2) श्रीमती राजू बाई, पत्नी रामचन्द्र, 3) श्रीमती आशा बाई, पत्नी जितेंद्र	ऋण खाता सं. 45579440001010 ऋण राशिः ₹3,00,000/-	अचल संपत्तिः मकान/भूखंड संख्या 162 वाली वह समस्त भूमि, जिसका क्षेत्रफल 850 वर्ग फुट है, तथा उस पर निर्माण कार्य भी शामिल है, सर्वेक्षण संख्या 404/2, पुलिस मुख्यालय संख्या 52 का भाग, ग्राम हरसौदन में, ग्राम पंचायत हरसौदन, तहसील एवं जिला उज्जैन (मध्य प्रदेश) की सीमा के भीतर स्थित है। पूर्व में मोहन का मकान, पश्चिम में राजू बाई का मकान, उत्तर में जितेंद्र पटेल का मकान, और दक्षिण में आम सड़क से घिरा है।	01-10-2025 और 18-10-2025	रू. 1,50,921.92 (एक लाख पचास हजार नौ सौ इक्कीस और बानवे पैसे मात्र) 15.10.2025 तक
8	1) श्री पवन गेहलोत, पुत्र रामलाल, 2) श्रीमती दुर्गा गेहलोत, पत्नि पवन गेहलोत	ऋण खाता सं. 47170440000092 ऋण राशिः ₹2,25,000/-	अचल संपत्तिः प्लॉट/मकान संख्या 81 वाला वह समस्त भूखंड, जिसका कुल क्षेत्रफल 900 वर्ग फुट (83.61 वर्ग मीटर) है, तथा उस पर हुए निर्माण सहित, ग्राम पंचायत रूपाखेड़ी, तहसील माकडोन/तराना एवं जिला उज्जैन (मध्य प्रदेश) की सीमा के भीतर, ग्राम रूपाखेड़ी में स्थित है। पूर्व में श्री अनिल का मकान, पश्चिम में सड़क, उत्तर में श्री रामलाल का मकान और दक्षिण में श्री चतरू का मकान इसकी सीमा में है।	01-10-2025 और 18-10-2025	रू. 2,24,554.20 (दो लाख चौबीस हजार पाँच सौ चौवन और बीस पैसे मात्र) 15.10.2025 तक
9	1) मेसर्स श्री बालाजी ब्रेकर्स, इसके मालिक श्री धर्मेंद्र यादव, पुत्र रतन सिंह यादव, 2) श्रीमती मंजू यादव, पत्नी धर्मेंद्र यादव, 3) श्रीमती ज्ञानदीप, पुत्र रतन सिंह यादव	ऋण खाता सं. 31159440000568 31159410001361 ऋण राशिः ₹5,00,000/-	अचल संपत्तिः प्लॉट/मकान संख्या 25/2 वाला वह पूरा भूखंड, जिसका कुल क्षेत्रफल 600 वर्ग फुट (55.76 वर्ग मीटर) है, और उस पर निर्माण कार्य भी शामिल है, लातूर बाग कॉलोनी, वार्ड संख्या 09 (वरदावन) में, नगर निगम इंदौर, तहसील और जिला इंदौर (मध्य प्रदेश) की सीमा के भीतर स्थित है। पूर्व में संतोष यादव का मकान, पश्चिम में पाटिल साहब का मकान, उत्तर में बैक लेन और दक्षिण में कॉलोनी रोड से घिरा है।	01-10-2025 और 18-10-2025	रू. 3,85,605.45 (तीन लाख पिच्यासी हजार छह सौ पाँच और पैंतालीस पैसे मात्र) 15.10.2025 तक
10	1) श्री बलराम कुशवाह, पुत्र मुन्नालाल, 2) श्रीमती जमना कासोटे, पत्नि बलराम कुशवाह	ऋण खाता सं. 51859610000143 ऋण राशिः ₹12,00,000/-	अचल संपत्तिः वह समस्त भूमि का टुकड़ा जिसका व्यपवर्तित भूमि सर्वेक्षण सं. 293/मिनी-14 है, जिसका क्षेत्रफल 750 वर्ग फुट है, और उस पर निर्माण कार्य भी शामिल है। वार्ड क्रमांक 25, ग्राम मगरिया, पंडित दंडदयाल उपाध्याय वार्ड में स्थित है। यह ग्राम पंचायत शाजापुर, तहसील एवं जिला शाजापुर (मध्य प्रदेश) की सीमा में है। पूर्व में राहुल परमाल की भूमि, पश्चिम में 20 फुट चौड़ी आम सड़क, उत्तर में सुशीला वर्मा का मकान और दक्षिण में विक्रेता का मकान इसकी सीमा से घिरा है।	01-10-2025 और 18-10-2025	रू. 12,35,490.15 (बारह लाख पैंतीस हजार चार सौ नब्बे और पंद्रह पैसे मात्र) 15.10.2025 तक
11	1) स्वर्गीय श्री रोहन सोनी, पुत्र महेंद्र सोनी, 2) श्रीमती नीता सोनी, पत्नि महेंद्र सोनी	ऋण खाता सं. 30369610000263 30369630000358 30369410000351 ऋण राशिः ₹24,00,000/-	अचल संपत्तिः वह समस्त आर.सी.सी. अधिरचना जिसमें फ्लैट संख्या 803, ब्लॉक-ए (पाइकी), आठ मंजिला, कुल निर्मित क्षेत्रफल 827 वर्ग फुट (76.85 वर्ग मीटर) शामिल है, सामान्य क्षेत्रों और सुविधाओं में 0.5217% की सीमा तक अविभाजित हिस्सेदारी के साथ, "श्रेयश अपार्टमेंट" नामक बहुमंजिला इमारत में, प्लॉट संख्या 41 पर स्थित (जंगमपुरा), नगर निगम इंदौर, तहसील और जिला इंदौर (मध्य प्रदेश) की सीमा के भीतर। पूर्व में जंगमपुरा रोड, पश्चिम में फ्लैट संख्या 810, उत्तर में फ्लैट संख्या 802 और दक्षिण में श्रेयश अपार्टमेंट ब्लॉक-बी से घिरा हुआ है।	01-10-2025 और 24-10-2025	रू. 10,10,689.46 (दस लाख दस हजार छह सौ नवासी और छयालीस पैसे मात्र) 15.10.2025 तक
12	1) श्री संतोष कुमार, पुत्र राधेश्याम, 2) श्रीमती पवित्रा बाई, पत्नि -राधेश्याम	ऋण खाता सं. 51859630000060 ऋण राशिः ₹3,79,000/-	अचल संपत्तिः मकान संख्या 384 वाली वह पूरी जमीन, जिसका कुल क्षेत्रफल 551 वर्ग फुट (51.20 वर्ग मीटर) है, और उस पर हुए निर्माण सहित, वार्ड संख्या 25 लक्ष्मी नगर, ग्राम मगरिया, सर्वे संख्या 188, पुलिस चौकी संख्या 41, ग्राम पंचायत मगरिया, तहसील और जिला शाजापुर (मध्य प्रदेश) की सीमा के भीतर स्थित है। सीमाः बिक्री विलेख के अनुसारः पूर्व में माया का मकान, पश्चिम में विक्रेता की जमीन, उत्तर में सड़क और दक्षिण में विक्रेता की जमीन। वास्तविक सीमाः पूर्व में मांगीलाल कुशवाह का मकान, पश्चिम में राजमल सोनी का मकान, उत्तर में सड़क और दक्षिण में मोहन का मकान।	01-10-2025 और 18-10-2025	रू. 3,82,155.32 (तीन लाख बयासी हजार एक सौ पचपन और बत्तीस पैसे मात्र) 15.10.2025 तक
13	1) श्री कमल सिंह, पुत्र बापू सिंह, 2) श्रीमती भगत बाई परिहार, पत्नि -बापू सिंह	ऋण खाता सं. 47170430000432 ऋण राशिः ₹1,89,000/-	अचल संपत्तिः मकान/भूखंड संख्या 121 वाली भूमि का वह पूरा टुकड़ा, जिसका क्षेत्रफल 1000 वर्ग फुट है, और उस पर निर्माण कार्य भी शामिल है। यह सर्वेक्षण संख्या 306, पीएच संख्या 63 का हिस्सा है। यह ग्राम मंजूखेड़ी में, ग्राम पंचायत ढाबला पिलोन, तहसील बडोद और जिला आगर (मध्य प्रदेश) की सीमा के भीतर स्थित है। इसकी सीमाएँः पूर्व मेंः धीरप सिंह का मकान, पश्चिम मेंः मेहरबान सिंह का मकान, उत्तर मेंः बद्री सिंह का मकान और दक्षिण मेंः आम रास्ता है।	01-10-2025 और 18-10-2025	रू. 1,96,608.46 (एक लाख छियानवे हजार छह सौ आठ और छियालीस पैसे मात्र) 15.10.2025 तक
14	1) श्री गोकुल, पुत्र रमेश, 2) श्रीमती गीना बाई, पत्नी गोकुल	ऋण खाता सं. 47170430000277 ऋण राशिः ₹3,57,500/-	अचल संपत्तिः मकान/संपत्ति संख्या 01/34, कुल क्षेत्रफल 1000 वर्ग फुट (92.903 वर्ग मीटर) और उस पर निर्माण सहित, पी.एच. संख्या 52, ग्राम बरखेड़ी बाजार में, ग्राम पंचायत बरखेड़ी बाजार, तहसील महिदपुर और जिला उज्जैन (मध्य प्रदेश) की सीमा के भीतर स्थित है। चारों ओर से घिरा हैः पूर्व मेंः हिम्मतसिंह की भूमि, पश्चिम मेंः स्वयं की खुली भूमि और सड़क, उत्तर मेंः श्री ईश्वर सिंह का मकान और दक्षिण मेंः सड़क।	01-10-2025 और 18-10-2025	रू. 3,48,461.90 (तीन लाख अड़तालीस हजार चार सौ इकसठ नब्बे पैसे मात्र) 15.10.2025 तक
15	1) श्री मानसिंह राजपूत, पुत्र भगवानसिंह राजपूत, 2) श्रीमती उमराव बाई राजपूत, पत्नि मानसिंह राजपूत	ऋण खाता सं. 36419610000242 ऋण राशिः ₹8,00,000/-	अचल संपत्तिः मकान संख्या 26 (ग्राम पंचायत अभिलेख के अनुसार) वाली भूमि का वह पूरा टुकड़ा, जिसका क्षेत्रफल 1080 वर्ग फुट (100.37 वर्ग मीटर) है, उस पर हुए निर्माण सहित, ग्राम आनंदगढ़, पीएच संख्या 27, सर्वेक्षण संख्या 317/1/2/1 का भाग, ग्राम पंचायत हिंगाड़ी, तहसील आलोट और जिला रतलाम (मध्य प्रदेश) की सीमा के भीतर स्थित है। पूर्व में अपनी भूमि और सड़क, पश्चिम में पूरन सिंह का मकान, उत्तर में दूसरे का मकान और दक्षिण में अपनी भूमि से घिरा है।	01-10-2025 और 18-10-2025	रू. 8,04,426.38 (आठ लाख चार हजार चार सौ छब्बीस और अड़तीस पैसे मात्र) 15.10.2025 तक
16	1) श्री अब्दुल मुस्तफा, पुत्र. अब्दुल मजीद, मालिक मैसर्स. ऑल हैदरी बिरयानी केंद्र, 2) श्रीमती नेजमा खातून, पत्नी अब्दुल मजीद	ऋण खाता सं. 45089440000046 ऋण राशिः ₹5,00,000/-	अचल संपत्तिः प्लॉट संख्या 2/3 वाला वह पूरा भूखंड, जिसका कुल क्षेत्रफल 656 वर्ग फुट है और उस पर आर.सी.सी. निर्माण भी है, लक्ष्मी नगर चौक राजीव नगर सुपेला, वार्ड क्रमांक 4, नगर पालिका निगम भिलाई, तहसील भिलाई और जिला दुर्ग (छ.ग.) की सीमा के भीतर स्थित है। पूर्व में ओपन, पश्चिम में सलमा खातून, उत्तर में 12 फीट रोड और दक्षिण में जाहिदा बेगम से घिरा है।	01-10-2025 और 18-10-2025	रू. 2,68,275.39 (दो लाख अड़सठ हजार दो सौ पिचहत्तर और उनचालीस पैसे मात्र) 15.10.2025 तक
17	1) श्री रामचरण सोलंकी, पुत्र मदुजी, 2) श्रीमती सरला बाई, पत्नि रामचरण सोलंकी	ऋण खाता सं. 45529630000422 45529410001783 ऋण राशिः ₹3,96,000/-	अचल संपत्तिः पी.एच. क्रमांक 41 वाली वह पूरी जमीन, जिसका कुल क्षेत्रफल 600 वर्ग फुट है, ग्राम जगमल पिपलिया, पी.एच. क्रमांक 41 में, ग्राम पंचायत जगमल पिपलिया, तहसील और जिला इंदौर (मध्य प्रदेश) की सीमा के भीतर स्थित है। चारों ओरः पूर्व मेंः श्री मुकेश का मकान, पश्चिम मेंः कॉमन रोड, उत्तर मेंः श्री जगदीश का मकान और दक्षिण मेंः श्री रामचंदर का मकान।	01-10-2025 और 18-10-2025	रू. 3,13,470.60 (तीन लाख तेरह हजार चार सौ सत्तर और साठ पैसे मात्र) 15.10.2025 तक
18	1) मैसर्स. कंचन परिधान, इसके द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया मालिक श्री विजय बाबूराव चटप, 2) श्री विजय बाबूराव चटप, 3)श्रीमती कल्पना विजय चटप	ऋण खाता सं. 30338950001492 30339670000262 30339670000380 ऋण राशिः ₹16,98,659/-	अचल संपत्तिः आवासीय सहित संपूर्ण आर.सी.सी. अधिरचना अपार्टमेंट संख्या F-303, तीसरी मंजिल पर, 44.070 वर्ग मीटर निर्मित क्षेत्रफल को कवर करता है, कुल निर्मित क्षेत्रफल 607.21 वर्ग फुट (56.412 वर्ग मीटर), "शिव अपार्टमेंट" नामक बहुमंजिला इमारत में, प्लॉट संख्या 3 पर निर्मित भवन में आनुपातिक और अविभाजित 2.840% हिस्सेदारी और हित के साथ, जो खसरा संख्या 43-A/2, P.H. संख्या 38 वाली संपूर्ण भूमि का एक भाग है, जो मौजा बेलतरोड़ी में, ग्राम पंचायत बेसा (बेलतरोड़ी) तहसील नागपुर (ग्रामीण) और जिला नागपुर की सीमा के भीतर स्थित है। पूर्व मेंः खसरा संख्या 57, पश्चिम मेंः प्लॉट संख्या 2, उत्तर मेंः खसरा संख्या 43/B और दक्षिण मेंः सड़क।	01-10-2025 और 23-10-2025	रू. 15,97,954.61 (पंद्रह लाख सत्तानवे हजार नौ सौ चौवन और इकसठ पैसे मात्र) 15.10.2025 तक
19	1) स्वर्गीय श्री मयूर विजयवर्गीय, पुत्र विष्णु विजयवर्गीय, दिवंगत उनके एलआर श्री द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया। विष्णु विजयवर्गीय, पुत्र रामकिशन विजयवर्गीय, 2)श्रीमती विष्णु विजयवर्गीय, पुत्र रामकिशन विजयवर्गीय	ऋण खाता सं. 45529420002075 ऋण राशिः ₹25,25,000/-	अचल संपत्तिः प्लॉट/मकान संख्या एफ.डब्ल्यू. 27 के उत्तरी भाग का वह पूरा टुकड़ा, जिसका कुल क्षेत्रफल 615 वर्ग फुट (57.17 वर्ग मीटर), भूतल का निर्मित क्षेत्रफल 615 वर्ग फुट (57.17 वर्ग मीटर) और प्रथम तल का 100 वर्ग फुट (9.29 वर्ग मीटर) है। उस पर निर्माण सहित, सुपर सिटी पी.एच. संख्या 70, ग्राम ढाबली, पैकी सुपर सिटी (ज्ञानशिला सिटी), तहसील सांवेर और जिला इंदौर (मध्य प्रदेश) में स्थित है। पूर्व मेंः अन्य प्लॉट, पश्चिम मेंः कॉलोनी रोड, उत्तर मेंः एफ.डब्ल्यू.-28 का प्लॉट और दक्षिण मेंः प्लॉट संख्या एफ.डब्ल्यू.-27 का शेष भाग।	01-10-2025 और 24-10-2025	रू. 25,44,574.56 (पच्चीस लाख चौवालीस हजार पाँच सौ चौहत्तर और छप्पन पैसे मात्र) 15.10.2025 तक
20	1) श्री दिनेश, पुत्र आताराम, 2) श्रीमती माया बाई, पत्नी दिनेश	ऋण खाता सं. 45570430000207 ऋण राशिः ₹3,00,000/-	अचल संपत्तिः भूखंड/मकान सं. 43/2 का वह पूरा टुकड़ा, जिसका कुल क्षेत्रफल 750 वर्ग फुट (69.67 वर्ग मीटर) है, और उस पर निर्माण सहित, पुलिस मुख्यालय संख्या 64, वार्ड संख्या 13, ग्राम सिकंदरखेड़ा में स्थित है, ग्राम पंचायत सिकंदरखेड़ा, तहसील बड़नगर और जिला उज्जैन (मध्य प्रदेश) की सीमा के भीतर। सीमाः पूर्व में खाली भूखंड, पश्चिम में श्री प्रकाश का मकान, उत्तर में खाली स्थान और दक्षिण में सड़क।	01-10-2025 और 27-10-2025	रू. 2,70,436.72 (दो लाख सत्तर हजार चार सौ छत्तीस और बहत्तर पैसे मात्र) 26.10.2025 तक
21	1) श्री लाखन चौधरी, पुत्र बालू जी चौधरी, 2) श्रीमती रीना चौधरी, पत्नि लाखन	ऋण खाता सं. 51919430000051 ऋण राशिः ₹8,75,000/-	अचल संपत्तिः भूखंड/मकान सं. 92 का वह पूरा टुकड़ा, जिसका कुल क्षेत्रफल 1508 वर्ग फुट (140.14 वर्ग मीटर) है, और उस पर निर्माण सहित, पुलिस मुख्यालय संख्या 44, ग्राम दिलावरा में, ग्राम पंचायत दिलावरा, तहसील एवं जिला धार (मध्य प्रदेश) की सीमा के भीतर स्थित है। पूर्व में स्वयं की खुली भूमि, पश्चिम में आम सड़क, उत्तर में जगदीश चौधरी का मकान और दक्षिण में स्वयं की खुली भूमि से घिरा है।	01-10-2025 और 27-10-2025	रू. 8,61,352.85 (आठ लाख इकसठ हजार तीन सौ बावन और पिच्यासी पैसे मात्र) 26.10.2025 तक
22	1) श्री विशाल सोलंकी, पुत्र सोहन, 2) श्रीमती संगीता बाई, पत्नि सोहन	ऋण खाता सं. 51859610000143 ऋण राशिः ₹12,00,000/-	अचल संपत्तिः वह समस्त भूमि का टुकड़ा जिसका व्यपवर्तित भूमि सर्वेक्षण सं. 293/मिनी-14 है, जिसका क्षेत्रफल 750 वर्ग फुट है, और उस पर निर्माण कार्य भी शामिल है। वार्ड क्रमांक 25, ग्राम मगरिया, पंडित दंडदयाल उपाध्याय वार्ड में स्थित है। यह ग्राम पंचायत शाजापुर, तहसील एवं जिला शाजापुर (मध्य प्रदेश) की सीमा में है। पूर्व में राहुल परमाल की भूमि, पश्चिम में 20 फुट चौड़ी आम सड़क, उत्तर में सुशीला वर्मा का मकान और दक्षिण में विक्रेता का मकान इसकी सीमा से घिरा है।	01-10-2025 और 27-10-2025	12,35,490.15 (बारह लाख पैंतीस हजार चार सौ नब्बे और पंद्रह पैसे मात्र) 15.10.2025 तक

इसलिए, कॉलम संख्या 2 में उल्लिखित उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता/गारंटर और बंधककर्ता को नोटिस दिया जाता है, जिसमें उनसे अनुरोध किया जाता है कि वे इस नोटिस के प्रकाशन के 60 दिनों के भीतर सभी संबंधित उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता के विरुद्ध कॉलम संख्या 6 में दर्शाई गई कुल राशि का भुगतान करें, क्योंकि उक्त राशि कॉलम संख्या 6 में दर्शाई गई तिथि को संबंधित ऋण खाते के संबंध में देय पाई जाती है। यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि भविष्य के ब्याज और अन्य राशियों सहित कुल राशि, जो भुगतान की तिथि तक देय हो सकती है, का भुगतान नहीं किया जाता है, तो जन लघु वित्त बैंक लिमिटेड कॉलम संख्या 4 में वर्णित संपत्तियों पर सुरक्षा हित लागू करने के लिए उचित कार्रवाई करने के लिए बाध्य होगा। कृपया ध्यान दें कि यह प्रकाशन ऐसे अधिकारों और उपायों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना किया गया है जो कानून के तहत उक्त वित्तीय मामलों के उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता/गारंटर/बंधककताओं के विरुद्ध जन लघु वित्त बैंक लिमिटेड को उपलब्ध हैं। आपसे यह भी अनुरोध है कि कृपया ध्यान दें कि धारा 12 के अनुसार उक्त अधिनियम की धारा 13(13) के तहत, आपको सुरक्षित ऋणदाता की पूर्व सहमति के बिना उपरोक्त प्रतिभूति का निपटान या लेन-देन करने या सुरक्षित परिसंपत्ति को बिक्री, पट्टे या अन्यथा स्थानांतरित करने से रोका/निषिद्ध किया जाता है।

दिनांकः 01/11/2025, स्थानः इंदौर — एसडी/- प्राधिकृत अधिकारी, जन लघु वित्त बैंक लिमिटेड के लिए